पटना समाहरणालय, पटना।

1131
07/05/15

आदेश

प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 03/कृ0 बजट आवंटन-12/2015 07 (आवंटन)/कृ0 पटना दिनांक 27.04.2015 द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष 02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष 114 कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उप शीर्ष 0001 कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड– N2245021140001 में पटना जिला को कुल 7,87,70,000/ (सात करोड़ सतासी लाख सत्तर हजार) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ। प्राप्त आवंटन का 90 प्रतिशत राशि पटना समाहरणालय, पटना के आदेश ज्ञापांक 1087 दिनांक 30.04.2015 के द्वारा पटना जिला के सभी प्रखंडों में उपावंटित किया गया। शेष 10 प्रतिशत राशि 78,77,000/ (अठहत्तर लाख सतहत्तर हजार रूपये) का उपावंटन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सम्पतचक, बिक्रम एवं बेलछी को पटना समाहरणालय, पटना के आदेश ज्ञापांक 1100 दिनांक 05.05.2015 के द्वारा किया गया था। वर्त्तमान में बिहार सरकार, कृषि विभाग के पत्रांक– 3/कृ0बजट आवंटन–12/2015– 10 (आवंटन), दिनांक 07.05.2015 के द्वारा 5,00,00,000/ (पाँच करोड़) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसका उपावंटन निम्न रूपेण प्रखंड विकास पदाधिकारियों को करते हुए उनके नाम के सामने अंकित राशि संबंधित कोषागार से वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	उपावंटित पदाधिकारी का पदनाम	पटना समाहरणालय, पटना के आदेश ज्ञापांक 1087 दिनांक 30.04.15 के द्वारा प्रथम किश्त के रूप में उपावंटित राशि (रूपये में)	पटना समाहरणालय, पटना के आदेश ज्ञापांक 1100 दिनांक 05.05.15 के द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में उपावंटित राशि (रूपये में)	वर्त्तमान में तृतीय किश्त के रूप में उपावंटित की जा रही राशि (3+4+5) (रूपये में)
1	2	3	4	5
1	प्र0वि0पदा0, पटना सदर	384750	0	**836438**
2	प्र0वि0पदा0, फुलवारीशरीफ	830250	0	**0**
3	प्र0वि0पदा0, सम्पतचक	704700	1037180	**0**
4	प्र0वि0पदा0, फतुहा	1607850	0	**1260079**
5	प्र0वि0पदा0, खुशरूपुर	814050	0	**637975**
6	प्र0वि0पदा0, दनियावाँ	911250	0	**0**
7	प्र0वि0पदा0, मसौढ़ी	3746250	0	**2935953**
8	प्र0वि0पदा0, धनरूआ	2296350	0	**1208000**
9	प्र0वि0पदा0, पुनपुन	2984850	0	**2339240**
10	प्र0वि0पदा0, दानापुर	753300	0	**590365**
11	प्र0वि0पदा0, मनेर	1053000	0	**42000**
12	प्र0वि0पदा0, बिहटा	332100	0	**910000**
13	प्र0वि0पदा0, बिक्रम	1996650	2938680	**0**
14	प्र0वि0पदा0, दुल्हिन बाजार	3329100	0	**2609030**
15	प्र0वि0पदा0, पालीगंज	2381400	0	**1650000**
16	प्र0वि0पदा0, नौबतपुर	1522800	0	**1600000**
17	प्र0वि0पदा0, बाढ़	2787592	0	**2184648**
18	प्र0वि0पदा0, अथमलगोला	2218480	0	**1738632**

19	प्र0वि0पदा0, बेलछी	2650583	3901140	0
20	प्र0वि0पदा0, बख्तियारपुर	9226981	0	7231225
21	प्र0वि0पदा0, पंडारक	8926616	0	6995828
22	प्र0वि0पदा0, मोकामा	11803791	0	9250682
23	प्र0वि0पदा0, घोसवरी	7630307	0	5979905
	कुल :–	70893000	7877000	50000000

1. इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्यशीर्ष– 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष 02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष 114 कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उप शीर्ष 0001 कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) मांग संख्या 39 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा विपत्र कोड– N2245021140001 के अंतर्गत विधान मंडल से पारित बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम 2015 द्वारा उपबंधित राशि एवं राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

2. बिहार सरकार, कृषि विभाग के स्वीकृत्यादेश ज्ञाप संख्या– मी0 20/15– 1993 दिनांक 27.04.2015 एवं पत्रांक 2114 दिनांक 07.05.2015 (छायाप्रति संलग्न) में निहित निदेशों एवं शर्तो के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से रब्बी मौसम 2014–15 में पटना जिला में हुई मसूर/गेहूँ फसल क्षति के लिए SDRF के मानदर के अनुरूप किसानों को देय कृषि इनपुट अनुदान हेतु निर्गत किया जा रहा है। अनुरोध है कि प्रभावित किसानों को आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1388/आ0प्र0 दिनांक 24.07.2004 द्वारा गठित अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति की देख–रेख में RTGS/Cheque (Account Payee) के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाए। SDRF का मानदर जो भारत सरकार के पत्रांक 32–7/2014–NDM–1 दिनांक 08.04.2015 द्वारा निर्गत है, को आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

4. इस राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा अन्यथा इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। व्यय की गई रशि का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 2री तारीख तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा राशि व्यय के पश्चात टी0भी0 सं0 के साथ व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को शीघ्र भेजा जाय।

5. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए.सी. विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी.सी. बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को शीघ्रताशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 10.03.2016 तक अवश्य भेज दिया जाय।

6. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाए, तो दिनांक 10.03.2016 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाए।

7. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड एवं मांग संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मोहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

कृपया एक विपत्र पर एक हीं उपशीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

8. उपावंटित राशि में से 80 प्रतिशत राशि व्यय हो जाने पर अगर माँग अवशेष बचता हो तो अतिरिक्त राशि की माँग संबंधित सूचना इस कार्यालय को यथा शीघ्र भेजा जाय ताकि राशि की माँग राज्य सरकार से किया जा सके।

9. यह उपावंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाय। **व्यय होने वाली राशि के लिए तैयार किए गए विपत्र/विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से ''8000 आकस्मिकता निधि'' अंकित कराया जाय।**

10. यदि उपर्युक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 10.03.2016 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर इसे बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

11. अनुरोध है कि उपावंटित की गई राशि, संबंधित कोषागार तथा डी.डी.ओ. कोड अविलम्ब उपलब्ध कराई जाए, ताकि सी.टी.एम.आई.एस. माध्यम से आवंटन को ऑनलाईन प्रविष्टि किया जा सके।

7/5

जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 1131 कृ0, दिनांक 07/05/15

प्रतिलिपिः सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर, मसौढ़ी, पटना सिटी, बाढ़ एवं मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना/आई0टी0 मैनेजर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपिः– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना प्रमंडल, पटना/उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

7/5

जिला पदाधिकारी,
पटना।